



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



मारपीट व गाली गलौज की घटना कारित करने के आरोपी 1-नूरहसन, 2-नूदीन, 3-आस मौ0 उर्फ मौहर्म्म व 4-ताज मौहम्मद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्तों 1-नूरहसन, 2-नूदीन, 3-आस मौ0 उर्फ मौहर्म्म व 4-ताज मौहम्मद पुत्रगण मेहरबान निवासीगण शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ मारपीट व गाली गलौज की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 31/2022 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.10.2026 को मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल SC/ST एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1-नूरहसन, 2-नूदीन, 3-आस मौ0 उर्फ मौहर्म्म व 4-ताज मौहम्मद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को 03 वर्ष के साधारण कारावास व 1500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने की घटना कारित करने के आरोपी तांत्रिक सुरेन्द्र व अमन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.तांत्रिक सुरेन्द्र पुत्र राममेहर निवासी करबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत व 2.अमन पुत्र चौबसिंह निवासी बासौली थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 176/2023 धारा 354/506/376(3) भादवि व 7/8/4(2) पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.10.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त तांत्रिक सुरेन्द्र को दोषी पाते हुये धारा 354 भादवि में 04 वर्ष के कठोर का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त अमन को दोषी पाते हुये धारा 376 भादवि में 10 वर्ष के कठोर का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री पप्पू सिंह तैनुआ प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



श्री नरेश कुमार विशेष लोक अभियोजक



नि0 श्री शिवदत्त विवेक



है0का0 रवि कुमार कोर्टपैराकार



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police